राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

खंडपीठ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 15/2023

महेंद्र पुत्र श्री श्योराम उर्फ शिवराम, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी बोपिया, पुलिस थाना पाटन, जिला सीकर (राजस्थान) (वर्तमान में सेंट्रल जेल, जयपुर में बंदी)-अपनी पत्नी श्रीमती हंसा देवी, निवासी वार्ड नंबर 8, बोपिया, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर (राजस्थान) के माध्यम से।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव जरिये, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. जिला मजिस्ट्रेट, सीकर, जिला सीकर (राजस्थान)
3. पुलिस अधीक्षक, सीकर, जिला सीकर (राजस्थान)

----प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता की ओर से	:	श्री रवीन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता श्री परमेश्वर लाल पिलानिया, अधिवक्ता के साथ
प्रत्यर्थी की ओर से	:	श्री घनश्याम सिंह राठौड़, जीए-सह-एएजी श्री संतोष सिंह शेखावत, अधिवक्ता के साथ श्री राजेश, (एस.आई.), एस.एच.ओ. पी.एस. पाटन

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपमन

आदेश

रिपोर्टेबल

08/05/2023

1. याचिकाकर्ता ने इस याचिका के माध्यम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, राज्य सरकार और सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुमोदित जिला मजिस्ट्रेट, सीकर द्वारा पारित निवारक हिरासत के आदेश को चुनौती देते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने

की प्रार्थना की है।

2. सीकर के जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधीक्षक, सीकर द्वारा प्रस्तुत सामग्री और रिपोर्ट के आधार पर संतोष दर्ज किया कि याचिकाकर्ता को सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए किसी भी तरह से पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य करने से रोकने के लिए, याचिकाकर्ता को हिरासत में लेने का निर्देश देना आवश्यक हो गया है। राजस्थान समाज विरोधी गतिविधि निवारण अधिनियम, 2006 (इसके बाद "2006 के अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला मजिस्ट्रेट ने 13.06.2022 को एक वर्ष की अवधि के लिए निवारक निरोध का आदेश पारित किया। राजस्थान सरकार ने दिनांक 28.06.2022 के ज्ञापन के माध्यम से, जिला मजिस्ट्रेट, सीकर द्वारा पारित 13.06.2022 के हिरासत के आदेश को हिरासत के आधार के साथ जयपुर में सलाहकार बोर्ड, पासा के अध्यक्ष को अग्रेषित किया। इसके बाद, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 27.07.2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सलाहकार बोर्ड के समक्ष पेश किया गया और याचिकाकर्ता/बंदी को सुनवाई का अवसर देने और उसके समक्ष पेश किए गए रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद, सलाहकार बोर्ड ने 2006 के अधिनियम की धारा 11 में निहित प्रावधानों के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उसकी राय दर्ज की गई कि याचिकाकर्ता-बंदी की हिरासत के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं और इस तरह हिरासत की पुष्टि हुई। सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त करने के बाद, राज्य सरकार ने दिनांक 01.09.2022 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता को 13.06.2022 से एक वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखने का निर्देश दिया।

3. सलाहकार बोर्ड द्वारा निरुद्धि के आदेश की पुष्टि तथा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत आदेश से व्यथित याचिकाकर्ता ने यह याचिका दायर की है। हिरासत के आदेश की वैधता पर प्रश्न उठाते हुए, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने हमारे सामने तर्क दिया कि 2006 के अधिनियम की धारा 9 और 11 के साथ-साथ धारा 14 में निहित प्रावधानों के उल्लंघन के कारण हिरासत अवैध और कानून में टिकाऊ नहीं है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी दलीलों को विस्तार से बताते हुए कहा कि 2006 के अधिनियम की धारा 9 के आदेश का पालन नहीं किया गया क्योंकि याचिकाकर्ता को मजिस्ट्रेट द्वारा हिरासत का आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का कोई

अवसर नहीं दिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि उसे 2006 के अधिनियम की धारा 9 के तहत अनिवार्य रूप से प्रतिनिधित्व करने का अवसर नहीं दिया गया था। इसलिए, हिरासत के आदेश को अवैध घोषित किया जाने योग्य है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की दूसरी दलील यह है कि हालांकि हिरासत का आदेश 13.06.2022 को पारित किया गया था, इसे पहली बार 27.07.2022 को सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखा गया था, जबकि धारा 11 में प्रावधान की अनिवार्य आवश्यकता थी। 2006 का अधिनियम यह है कि राज्य सरकार सलाहकार बोर्ड के समक्ष उन आधारों को रखने के लिए बाध्य है जिन पर हिरासत का आदेश दिया गया है और हिरासत की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर बंदी द्वारा किया गया प्रतिनिधित्व, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना है। इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि हिरासत का आदेश कानून की दृष्टि से टिकाऊ नहीं है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की तीसरी दलील यह है कि निवारक हिरासत की शक्तियों को लागू करने के लिए कोई मामला नहीं बनता है क्योंकि 2006 के अधिनियम की धारा 3 के तहत परिकल्पित संतुष्टि के निष्कर्ष को दर्ज करने के बाद ऐसी शक्तियों का प्रयोग संयमित रूप से किया जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाएगा कि कुछ आपराधिक मामले हैं जो पहले याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज किए गए थे लेकिन बाद में, आपराधिक मामलों के पंजीकरण की आवृत्ति काफी कम हो गई। आगे कहा गया है कि एक मामले में याचिकाकर्ता को पहले ही बरी कर दिया गया है जबकि अन्य तीन मामलों में समझौते के आधार पर मामले को बंद करने का आवेदन पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। याचिकाकर्ता के खिलाफ जो आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, उनमें अब तक सजा का आदेश नहीं दिया गया है. इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता को किसी न किसी कारण से हिरासत में रखने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा झूठा फंसाया जा रहा है।

7. अंत में, यह प्रस्तुत किया गया है कि 2006 के अधिनियम की धारा 14 में हिरासत की अधिकतम अवधि एक वर्ष का प्रावधान है। राज्य सरकार या सलाहकार बोर्ड ने कोई विशेष कारण नहीं बताया है कि याचिकाकर्ता को अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखने की आवश्यकता क्यों थी।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी दलीलों के समर्थन में **शेख नाजनीन बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य, आपराधिक अपील संख्या 908/2022, राजेश शर्मा उर्फ**

राजू पंडित बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, 2017 सीआरआई एल.जे. 3420, पेबम निंगोल मिकोई देवी बनाम मणिपुर राज्य और अन्य, (2010) 9 एससीसी 618, गुड्डु @ हजरत अली बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, खंडपीठ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 249/2021, ओमप्रकाश @ ओमी @ ओ.पी. बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, खंडपीठ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 217/2022, अजय रिणवा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, खंडपीठ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 220/2018 पर भरोसा जताया है।

9. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि हिरासत का आदेश 2006 के अधिनियम के आदेश के अनुसार सख्ती से पारित किया गया है। वह प्रस्तुत करेंगे कि याचिकाकर्ता एक कट्टर अपराधी है और उसके खिलाफ कई लोग हैं। 15 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं जिनमें जबरन वसूली, डकैती, हत्या आदि के अपराध शामिल हैं। जब वह सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बन गया, तो दिनांक 09.06.2022 को ज्ञापन के माध्यम से पुलिस अधीक्षक, सीकर ने जिला मजिस्ट्रेट को विवरण भेजा। याचिकाकर्ता की आपराधिक गतिविधियों के साथ-साथ उसके खिलाफ दर्ज और लंबित विभिन्न आपराधिक मामलों का इतिहास।

10. अधिनियम 2006 की धारा 3 की उपधारा (2) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 08.06.2022 के तहत सशक्त जिला मजिस्ट्रेट, सीकर ने संतुष्टि दर्ज की कि याचिकाकर्ता लगातार गंभीर मामलों में शामिल है। आपराधिक मामले और आदतन अपराधी तथा अपराध करने वाला भी बन गया है। यह भी दर्ज किया गया कि याचिकाकर्ता की आपराधिक गतिविधियों के कारण क्षेत्र में रहने वाली जनता के बीच भय और जीवन के खतरे की भावना है। इतनी संतुष्टि दर्ज होने पर जिला मजिस्ट्रेट ने नजरबंदी का आदेश पारित कर दिया। वह यह भी प्रस्तुत करेंगे कि न केवल 2006 के अधिनियम की धारा 9 के प्रावधानों, बल्कि धारा 11 और 14 के सभी प्रावधानों का सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूरी तरह से और पर्याप्त रूप से अनुपालन किया गया है और किसी भी वैधानिक प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। वह आगे ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को सलाहकार बोर्ड के समक्ष भी सुनवाई का अवसर दिया गया था और उसे सुनने के बाद, सलाहकार बोर्ड ने रिकॉर्ड पर पूरी सामग्री, विशेष रूप से जघन्य अपराधों से जुड़े बड़ी संख्या में आपराधिक मामलों पर विचार करने के बाद, हिरासत के आदेश की पुष्टि की. याचिकाकर्ता को एक वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में लिया गया है, यह ध्यान

में रखते हुए कि वह हत्या, डकैती, जबरन वसूली आदि जैसे जघन्य अपराधों में शामिल है। विद्वान राज्य अधिवक्ता ने **ओम प्रकाश @ ओमा @ जीवन राम बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, खंडपीठ सिविल रिट (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका संख्या 377/2021** के मामले पर भरोसा किया है।

11. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, रिकॉर्ड का अवलोकन किया है और जिला मजिस्ट्रेट, सीकर द्वारा पारित आदेश का भी अवलोकन किया है। बहस के दौरान, विद्वान राज्य अधिवक्ता ने सलाहकार बोर्ड की राय हमारे सामने रखी।

12. पुलिस अधीक्षक, सीकर ने अपने ज्ञापन दिनांक 09.06.2022 के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट को याचिकाकर्ता की आपराधिक गतिविधियों के बारे में जानकारी भेजी, जिसमें खुलासा हुआ कि 2012 के बाद से, याचिकाकर्ता विभिन्न आपराधिक मामलों में शामिल था। रिपोर्ट से पता चला कि याचिकाकर्ता के खिलाफ 15 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और एक को छोड़कर, जिसका निर्णय अपराध के समझौते के आधार पर किया गया है, अन्य आपराधिक मामले अभी भी विचाराधीन हैं। पुलिस अधीक्षक, सीकर ने प्रत्येक आपराधिक मामले का विवरण और आपराधिक गतिविधियों का विस्तृत इतिहास बताते हुए कहा कि 20.12.2019 को याचिकाकर्ता को कट्टर अपराधी के रूप में अपने स्वयं के गिरोह को उसके प्रमुख के रूप में संचालित करने के रूप में दर्ज किया गया था। इसमें आगे दर्ज किया गया कि याचिकाकर्ता बार-बार हत्या, डकैती, जबरन वसूली, हमले में शामिल है। उसने पड़ोसी राज्यों के कट्टर अपराधियों के संपर्क में आकर गिरोह बनाया और फिर वारदातों को अंजाम दिया। यह भी दर्ज किया गया कि जनता इतनी डरी हुई है कि कोई भी रिपोर्ट देने या सबूत देने के लिए आगे नहीं आ रही है। इसमें विभिन्न आपराधिक मामलों में जमानत पर रिहा होने के बाद अपराध करने का विवरण भी दिया गया है।

13. जिला मजिस्ट्रेट ने अपीलकर्ता की आपराधिक गतिविधियों का पूरा विवरण देखा, जैसा कि पुलिस अधीक्षक, सीकर ने अपने ज्ञापन दिनांक 09.06.2022 द्वारा अग्रेषित किया था, संतुष्टि दर्ज की कि याचिकाकर्ता, 2012 से, अपराध में शामिल है। हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, जबरन वसूली, लूट, अवैध हथियार रखना, फिरौती आदि जैसे गंभीर अपराध और वह जनता के बीच भय की भावना पैदा करने वाला आदतन अपराधी है। ऐसी

सामग्री और दर्ज संतुष्टि के आधार पर, जिला मजिस्ट्रेट ने 13.06.2022 को हिरासत का आदेश पारित किया। आदेश की प्रति याचिका के साथ संलग्न की गई है। राज्य ने अपना रिटर्न दाखिल कर दिया है और इसके साथ ही दिनांक 06.02.2023 के मेमो की एक प्रति (अनुलग्नक-आर/2) भी दाखिल की गई है, जिससे पता चलता है कि हिरासत का आदेश पारित होने के बाद, अपीलकर्ता को केंद्रीय जेल में 14.06.2022 को भर्ती कराया गया था। विविध संशोधन आवेदनों के जवाब में याचिकाकर्ता के हस्ताक्षरयुक्त हिरासत आदेश की प्रति दाखिल की गई है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को संबोधित जिला मजिस्ट्रेट के ज्ञापन दिनांक 13.06.2022 की एक प्रति भी रिकॉर्ड पर रखी गई है, जिसमें दर्ज है कि आवश्यक आधार और रिकॉर्ड के साथ हिरासत के आदेश की व्याख्या की गई है, जिसे प्राप्त करने, पढ़ने और वही समझ रहे हैं, के बाद स्वीकार किया जा सकता है। इस पर याचिकाकर्ता के 14.06.2022 को ही प्राप्त होने के हस्ताक्षर हैं। इसके अलावा, उपरोक्त ज्ञापन दिनांक 13.06.2022 में यह भी दर्ज है कि याचिकाकर्ता को लिखित रूप में सूचित किया गया था कि यदि वह सरकार/सलाहकार बोर्ड/उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अभ्यावेदन देना चाहता है, तो वह अधीक्षक, केंद्रीय जेल, जयपुर के माध्यम से ऐसा अभ्यावेदन भेज सकता है।

14. याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं दी गई 14.06.2022 को रसीद की पावती भी रिकॉर्ड पर रखी गई है, जो स्पष्ट रूप से साबित करती है कि हिरासत का आदेश उसके आधार और पूरे रिकॉर्ड के साथ याचिकाकर्ता को दो गवाहों की उपस्थिति में प्रदान किया गया था।

15. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को न केवल हिरासत के आदेश की प्रति उसके आधारों के साथ दी गई है, बल्कि अभ्यावेदन को प्राथमिकता देने के उसके अधिकार के बारे में भी लिखित रूप में सूचित किया गया है।

16. अधिनियम 2006 की धारा 9 इस प्रकार है:-

> **"9. हिरासत के आदेश का खुलासा करने का आधार- (1)** जब किसी व्यक्ति को हिरासत के आदेश के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है, तो आदेश देने वाला प्राधिकारी, जितनी जल्दी हो सके, लेकिन हिरासत की तारीख से तीन दिन के भीतर नहीं, उसे उन आधारों के बारे में सूचित करें जिन पर आदेश दिया गया है और उसे राज्य सरकार को आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का यथाशीघ्र अवसर प्रदान करेगा।
> (2) उपधारा (1) में कुछ भी प्राधिकारी को उन तथ्यों का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं होगी जिन्हें वह सार्वजनिक हित के खिलाफ मानता

है।

17. 2006 के अधिनियम की धारा 9 की अपेक्षा यह है कि हिरासत के आदेश के साथ-साथ जिस आधार पर हिरासत का आदेश दिया गया है, उसकी सूचना बंदी को यथाशीघ्र दी जानी चाहिए, लेकिन हिरासत की तारीख से अधिकतम तीन दिन में।

18. हिरासत के आदेश में वे आधार शामिल होते हैं जिन पर हिरासत का आदेश पारित किया गया था। हिरासत आदेश जारी करने से संबंधित 238 पृष्ठों के पूरे रिकॉर्ड भी याचिकाकर्ता को दिए गए, जिसे उन्होंने विधिवत स्वीकार किया। मेमो दिनांक 13.06.2022 में याचिकाकर्ता को राज्य सरकार को प्रतिनिधित्व देने के उसके अधिकार के बारे में सूचित करने के संबंध में स्पष्ट रूप से लिखित रूप में दर्ज किया गया है। इसलिए, 2006 के अधिनियम की धारा 9 के कथित उल्लंघन पर हिरासत के आदेश को चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं है और इसलिए इसे खारिज कर दिया गया है।

19. हिरासत के आदेश को चुनौती देने का दूसरा आधार यह है कि 2006 के अधिनियम की धारा 11 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है क्योंकि हिरासत के आधार को याचिकाकर्ता की हिरासत की तारीख से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर सलाहकार बोर्ड के समक्ष नहीं रखा गया है।

20. रिकॉर्ड पर निर्विवाद स्थिति यह है कि हिरासत का आदेश 13.06.2022 को पारित किया गया था, याचिकाकर्ता को 14.06.2022 को सेंट्रल जेल, जयपुर में दाखिल किया गया था और आधार सहित हिरासत के आदेश की सूचना याचिकाकर्ता को 14.06.2022 को दी गई थी। 2006 के अधिनियम की धारा 11 में निहित प्रावधान इस प्रकार हैं:-

> "**11. सलाहकार बोर्ड का संदर्भ-** प्रत्येक मामले में जहां इस अधिनियम के तहत हिरासत का आदेश दिया गया है, राज्य सरकार, आदेश के तहत किसी व्यक्ति की हिरासत की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर, धारा 10 के तहत उसके द्वारा वह आधार जिस पर आदेश दिया गया है और "हिरासत में लिए गए व्यक्ति" द्वारा किया गया प्रतिनिधित्व, यदि कोई हो, और जहां आदेश किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा किया गया है, तो धारा 3 की उपधारा (3) के तहत ऐसे अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट भी 3। गठित सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखेगी।

21. **ओम प्रकाश @ ओमा @ जीवन राम (सुप्रा.)** के मामले में उपरोक्त प्रावधान की व्याख्या इस न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष विचार के लिए आई। इसी तरह का तर्क, जैसा कि वर्तमान मामले में दिया गया है, उस मामले में भी दिया गया था, जिसमें कहा

गया था कि 2006 के अधिनियम की धारा 11 के तहत तीन सप्ताह के भीतर सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखे जाने वाले आधार के साथ हिरासत के आदेश की आवश्यकता होती है और हालांकि एक ज्ञापन तीन सप्ताह के भीतर जारी किया गया था और यद्यपि आधार सहित हिरासत का आदेश राज्य सरकार द्वारा तीन सप्ताह की अवधि के भीतर सलाहकार बोर्ड को भेज दिया गया था, लेकिन मामला वास्तव में तीन सप्ताह की समाप्ति के बाद सलाहकार बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत किया गया था।

22. इस न्यायालय ने **ओम प्रकाश @ ओमा @ जीवन राम (सुप्रा.)** के मामले में निम्नानुसार निर्णय लिया:-

> "9. जिस आधार पर हिरासत का आदेश दिया गया है, उसे सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखने की विधिक अपेक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 10 में निहित प्रावधानों के बराबर है। उचित सरकार पर कर्तव्य तय करने वाला प्रावधान पहले रखा जाना चाहिए। सलाहकार बोर्ड ने **रईसुद्दीन उर्फ बाबू तामची बनाम** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय में हिरासत के आदेश और उसके आधार पर विचार किया था। **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (1983) 4 एससीसी 537।** "स्थान से पहले" शब्दों की व्याख्या की गई और यह माना गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 10 का अर्थ "फॉरवर्ड टू" या "से अधिक कुछ नहीं है।" हिरासत में लिए गए व्यक्ति की हिरासत से संबंधित प्रासंगिक कागजात सलाहकार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करें। इसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:
>
> > **"5.** याचिकाकर्ता की ओर से अंतिम बिंदु यह कहा गया कि अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है क्योंकि सलाहकार बोर्ड ने हिरासत की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के मामले पर विचार नहीं किया था। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, याचिकाकर्ता ने नजरबंदी के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट को अपना अभ्यावेदन 24 नवंबर, 1982 को ही प्रस्तुत कर दिया था, जबकि उसे 8 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था और हिरासत में रखा गया था। उक्त अभ्यावेदन 6 दिसंबर, 1982 को राज्य सरकार के पास पहुंचा। इस बीच, याचिकाकर्ता का मामला राज्य सरकार ने 18 नवंबर को ही सलाहकार बोर्ड को भेज दिया था। याचिकाकर्ता से प्राप्त अभ्यावेदन को राज्य सरकार ने 9 दिसंबर, 1982 को राज्य सलाहकार बोर्ड को भेज दिया था। सलाहकार बोर्ड ने 10 दिसंबर, 1982 को अपनी बैठक की और याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई के बाद अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें इसे पर्याप्त पाया गया। याचिकाकर्ता की हिरासत का कारण. याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि धारा 10 अनिवार्य रूप से राज्य सरकार को यह

सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का आदेश देती है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के मामले पर हिरासत की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर सलाहकार बोर्ड द्वारा विचार किया जाए। हम इस विवाद में कोई दम नहीं देख पा रहे हैं। धारा 10 में लिखा है:

जैसा कि इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रदान किया गया है, को छोड़कर, प्रत्येक मामले में जहां इस अधिनियम के तहत हिरासत का आदेश दिया गया है, उपयुक्त सरकार, आदेश के तहत किसी व्यक्ति की हिरासत की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर, गठित सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखेगी। धारा 9 के तहत, वह आधार जिस पर आदेश दिया गया है और आदेश से प्रभावित व्यक्ति द्वारा किया गया प्रतिनिधित्व, यदि कोई हो, और ऐसे मामले में जहां आदेश उप-धारा (3) में उल्लिखित अधिकारी द्वारा और धारा 3 की उपधारा (4) के तहत ऐसे अधिकारी द्वारा दिया गया है।

धारा के तहत, उपयुक्त सरकार पर यह कर्तव्य बनता है कि वह हिरासत की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर धारा 9 के तहत गठित सलाहकार बोर्ड के सामने रखे, कि किस आधार पर हिरासत का आदेश और प्रतिनिधित्व, यदि कोई हो आदेश से प्रभावित व्यक्ति द्वारा दिया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता चाहते थे कि हम "सलाहकार बोर्ड के समक्ष स्थान" शब्दों की व्याख्या "सलाहकार बोर्ड द्वारा विचार किए जाने" के रूप में करें। हम इस तर्क को स्वीकार करने में पूरी तरह असमर्थ हैं। धारा की शर्तों के तहत, उपयुक्त सरकार का कर्तव्य है कि वह हिरासत की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर धारा 9 के तहत गठित सलाहकार बोर्ड को हिरासत में लिए गए आधारों सहित हिरासत से संबंधित कागजात भेजे। आदेश से प्रभावित व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व, यदि कोई हो, आदि दिया गया है। यह याद रखना चाहिए कि सलाहकार बोर्ड सरकार के अधीनस्थ कोई इकाई नहीं है। यह एक पूरी तरह से स्वतंत्र निकाय है जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य हैं। अधिनियम की धारा 11 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बैठकें आयोजित करने और अपना व्यवसाय संचालित करने की अपनी अनुसूची को विनियमित करना पूरी तरह से सलाहकार बोर्ड पर निर्भर है, जिसमें उपयुक्त सरकार को बोर्ड की रिपोर्ट जमा करने के लिए हिरासत की तारीख से एक समय सीमा या सात सप्ताह निर्दिष्ट किया गया है। इसलिए, "पहले स्थान" शब्दों की व्याख्या करना पूरी तरह से गलत है, जिसका अर्थ बंदी की हिरासत से संबंधित प्रासंगिक कागजात सलाहकार बोर्ड को आगे बढ़ाने या उसके समक्ष प्रस्तुत करने से अधिक है। वर्तमान मामले में, सलाहकार बोर्ड ने अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट सात सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के मामले का निपटारा कर दिया है। इसलिए, याचिकाकर्ता का यह तर्क भी तथ्यहीन है।

10. माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए, **कमल किशोर त्रिपाठी (सुप्रा.)** के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ ने पीएएसए अधिनियम, 2006 की धारा 11 के तहत कानूनी अपेक्षा की व्याख्या की और की कानूनी अपेक्षा सलाहकार बोर्ड का अर्थ होगा, बंदी की हिरासत से संबंधित प्रासंगिक कागजात सलाहकार बोर्ड को "अग्रेषित करना" या "उसके समक्ष प्रस्तुत करना"। इसे इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया:

> **"10. रईसुद्दीन उर्फ बाबू तमची बनाम** में उच्चतम न्यायालय **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (1983) 4 एससीसी 537** में माना गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 10 उचित सरकार पर यह कर्तव्य बनाती है कि वह नजरबंदी के लिए हिरासत की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर सलाहकार बोर्ड को संबंधित प्रासंगिक कागजात भेजे। इसलिए, उस भाग में 'पहले रखें' शब्द का मतलब हिरासत में लिए गए लोगों की हिरासत से संबंधित प्रासंगिक कागजात को सलाहकार बोर्ड के समक्ष 'अग्रेषित करने' या 'प्रस्तुत करने' से अधिक कुछ नहीं है। सलाहकार बोर्ड एक पूरी तरह से स्वतंत्र निकाय है जो अधिनियम की धारा 11 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बैठकें आयोजित करने और अपने व्यवसाय के संचालन के कार्यक्रम को विनियमित कर सकता है, जिसमें बोर्ड की रिपोर्ट उपयुक्त सरकार को प्रस्तुत करने के लिए हिरासत की तारीख से सात सप्ताह की समय सीमा निर्दिष्ट की गई है। रईसुद्दीन उर्फ बाबू तमची (सुप्रा.) मामले में उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय के मद्देनजर, राज्य सरकार को हिरासत में लिए गए लोगों की हिरासत के आधार को तीन सप्ताह के भीतर सलाहकार बोर्ड को भेजना आवश्यक है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय और इस न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय को वर्तमान मामले के स्वीकृत तथ्यों पर लागू करने से, यह स्पष्ट है कि हिरासत का आदेश 09.10.2021 को पारित किया गया था और राज्य सरकार ने, अभ्यास में पीएएसए अधिनियम, 2006 की धारा 11 के तहत शक्तियों ने मामले को हिरासत के आदेश के साथ-साथ इस तरह की हिरासत के आधार के साथ पीएएसए अधिनियम, 2006 की धारा 10 के तहत गठित सलाहकार बोर्ड को दिनांक 26.10.2021 के ज्ञापन के माध्यम से भेजा। हमने सलाहकार बोर्ड के मूल रिकॉर्ड का अध्ययन किया है, जिसमें जयपुर में सलाहकार

बोर्ड, पीएएसए के अध्यक्ष को संबोधित राज्य सरकार का दिनांक 26.10.2021 का ज्ञापन शामिल है। उक्त संदर्भ पत्र को जिला मजिस्ट्रेट, सीकर द्वारा जारी हिरासत के आदेश दिनांक 09.10.2021 के साथ हिरासत के आधार सहित अग्रेषित किया गया था। इस प्रकार, स्पष्ट रूप से उपरोक्त प्रक्रिया याचिकाकर्ता की हिरासत की तारीख से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर की गई थी और इसलिए, जिस आधार पर आदेश दिया गया है उसे सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखने की कानूनी आवश्यकता का कोई उल्लंघन नहीं है। इसलिए, इस संबंध में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की दलील खारिज की जाती है।"

23. कानून की उपरोक्त व्याख्या के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में भी, राज्य सरकार ने अपने ज्ञापन दिनांक 28.06.2022 जिसकी एक प्रति उत्तर के साथ अनुलग्नक-आर/4 के रूप में रिकॉर्ड पर रखी गई है। के माध्यम से सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष को उन आधारों के साथ हिरासत का आदेश भेज दिया, जिस पर हिरासत का आदेश पारित किया गया था। इसलिए, तीन सप्ताह की अवधि के भीतर, राज्य सरकार ने आधार सहित हिरासत के आदेश को सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष को भेज दिया, हालांकि इसे तीन सप्ताह की समाप्ति के बाद सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखा गया था। उपरोक्त विचार के मद्देनजर, 2006 के अधिनियम की धारा 11 की कानूनी आवश्यकता का पर्याप्त अनुपालन है। यह नहीं कहा जा सकता है कि 2006 के अधिनियम की धारा 11 के आदेश का उल्लंघन हुआ है।

24. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने **पेबम निंगोल मिकोई देवी बनाम मणिपुर राज्य (सुप्रा.)** के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय सहित विभिन्न निर्णयों पर भरोसा जताया है। उपरोक्त निर्णय याचिकाकर्ता की सहायता नहीं करता है क्योंकि वर्तमान मामले में अधिनियम में निहित किसी भी वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं पाया गया है।

25. **शेख नाजनीन बनाम तेलंगाना राज्य (सुप्रा.)** के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता कानून में गलत है। उस मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि मौजूदा मामले में निवारक निरोध कानून को लागू करने की आवश्यकता नहीं है।

26. **गुड्डु @ हजरत अली बनाम राजस्थान राज्य (सुप्रा.)** के मामले में निर्णय पर भरोसा करना भी तथ्यों पर गलत है क्योंकि उस मामले में यह पाया गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज मामले ऐसी प्रकृति के नहीं थे जिन पर विचार किया जा सके। इसमें याचिकाकर्ता असामाजिक गतिविधियों में लिप्त है। वर्तमान मामले में, जैसा कि स्पष्ट है, 15 मामलों में से, याचिकाकर्ता के खिलाफ वर्ष 2021 में हाल ही में दर्ज किए गए आपराधिक मामलों से पता चलता है कि आपराधिक मामले हत्या, डकैती, लूट, जबरन वसूली, अवैध हथियार रखने जैसे अपराधों के कथित कमीशन के लिए दर्ज किए गए हैं। इसलिए, यह ऐसा मामला नहीं है जहां मामूली अपराध दर्ज किए गए हैं और इसलिए, केवल मामलों की संख्या के आधार पर, निवारक हिरासत का मामला नहीं बनाया जाएगा।

27. **ओमप्रकाश और ओमी @ ओ.पी. बनाम राजस्थान राज्य (सुप्रा.)** के मामले में निर्णय पर भरोसा करने से भी याचिकाकर्ता को कोई मदद नहीं मिली क्योंकि उस मामले में, तथ्यों पर, इस न्यायालय ने पाया कि इसमें निहित प्रावधानों का उल्लंघन हुआ था 2006 के अधिनियम की धारा 9 में, बंदी द्वारा जल्द से जल्द प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया था। वर्तमान मामले में, जैसा कि यहां ऊपर चर्चा की गई है, याचिकाकर्ता को जल्द से जल्द अभ्यावेदन देने के अपने अधिकार के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया है, अर्थात जिस दिन उसे हिरासत में लिया गया था।

28. **अजय रिणवा बनाम राजस्थान राज्य (सुप्रा.)** के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय पर भरोसा करने से भी कोई मदद नहीं मिली क्योंकि उस मामले में, तथ्यों पर, यह पाया गया कि एक ताजा आदेश की पुष्टि करते समय हिरासत के मामले में, सलाहकार बोर्ड की राय 19 आपराधिक मामलों पर आधारित थी, जिनमें से 16 मामले ऐसे थे जिनकी गिनती पहले हिरासत आदेश में की गई थी, जिसे अदालत ने रद्द कर दिया था।

29. **राजेश शर्मा उर्फ राजू पंडित बनाम राजस्थान राज्य (सुप्रा.)** के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय पर भरोसा करना भी कानून के साथ-साथ तथ्यों पर भी गलत है। उपरोक्त निर्णय में यह माना गया था, जैसा कि अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 और 19 में जो कहा गया है उससे स्पष्ट है कि "पहले स्थान" शब्द का अर्थ सलाहकार बोर्ड को अग्रेषित करने या उसके समक्ष प्रस्तुत करने से अधिक कुछ भी नहीं लगाया जा सकता है। बंदी की हिरासत से संबंधित प्रासंगिक कागजात। राजेश शर्मा उर्फ राजू पंडित बनाम

राजस्थान राज्य (सुप्रा.) के मामले में निर्धारित सिद्धांतों का **ओम प्रकाश @ ओमा @ जीवन राम (सुप्रा.)** के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पालन किया गया है।

30. अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने हिरासत की अवधि के संबंध में विवाद को जोर देकर उठाया। यह ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता एक वर्ष में से 11 महीने से अधिक की निवारक हिरासत में रहा है और विशेष रूप से यह ध्यान में रखते हुए कि उसके खिलाफ 15 आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से पांच मामले 2018 से 2021 तक और पिछले 5 मामले दर्ज किए गए थे। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 382, 427, 364, 302, 395, 386 के तहत अपराध करने से संबंधित आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो सभी गंभीर अपराध हैं, हम हिरासत की अवधि में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।

31. परिणामस्वरूप, हिरासत के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनता है। याचिका विफल हो जाती है और तदनुसार खारिज की जाती है।

(अनिल कुमार उपमन), न्यायमूर्ति **(मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव), कार्यवाहक न्यायमूर्ति**

Karan/1

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।
अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।